रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112021-230863
CG-DL-E-01112021-230863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4223] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943
No. 4223] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2021

(आय-कर)

का.आ. 4584(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245घ की उपधारा (11) और उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम "ई-समझौता स्कीम, 2021" है ।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं—इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में उसका है ;

(ग) "आवेदक" से ऐसा निर्धारिती अभिप्रेत है, जिसने अधिनियम की धारा 245ग के अधीन आवेदन फाइल किया था और ऐसा आवेदन एक लंबित आवेदन है ;

(घ) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) में उसका है ;

(ङ) "स्वचालित आबंटन प्रणाली" से विवेकाधिकार को समाप्त करने और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने की दृष्टि से, उपयुक्त प्रौद्योगिकीय साधनों, जिनके अंतर्गत कृत्रिम आसूचना और मशीन अधिगम भी है, का प्रयोग करके, मामलों के यादृच्छिक आबंटन के लिए विधिविशेष अभिप्रेत है ;

(च) "कम्प्यूटर संसाधन" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में उसका है ;

(छ) "कम्प्यूटर प्रणाली" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में उसका है ;

(ज) "पदभिहित पोर्टल" से, यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा उस रूप में पदाभिहित वेब पोर्टल अभिप्रेत है ;

(झ) "अंकीय हस्ताक्षर" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में उसका है ;

(ञ) "इलैक्ट्रानिक ढंग" से ई-मेल, वीडियो-टेलीफोनी या वीडियो कान्फ्रेंसिंग या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कोई संसूचना अभिप्रेत है ;

(ट) "इलैक्ट्रानिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में उसका है ;

(ठ) "ई-मेल" या "इलैक्ट्रानिक मेल" से कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर संसाधन या संसूचना युक्ति पर सृजित या पारेषित या प्राप्त कोई मैसेज या सूचना अभिप्रेत है, जिसमें मैसेज के साथ पारेषित टेक्स्ट, इमेज, आडियो, वीडियो या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं ;

(ड) "ई-समझौता" से ऐसा समझौता अभिप्रेत है, जहां कार्यवाहियां इलैक्ट्रानिक रूप से संचालित की जाती हैं;

(ढ) "अंतरिम बोर्ड" से अधिनियम की धारा 245कक के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित अंतरिम समझौता बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ण) "लंबित आवेदन" का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम की धारा 245क के खंड (ङख) में उसका है ;

(त) "रजिस्टर्ड ई-मेल पता" से ऐसा ई-मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर इलैक्ट्रानिक संसूचना प्रेषिती को परिदत्त या पारेषित की जा सकेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है,--

(i) पदाभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत प्रेषिती के इलैक्ट्रानिक-फाइलिंग लेखा में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ii) प्रेषिती द्वारा प्रस्तुत अंतिम आय-कर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(iii) प्रेषिती से संबंधित स्थायी लेखा संख्यांक डाटा बेस में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(iv) ऐसे प्रेषिती की दशा में, जो एक ऐसा व्यष्टि है, जिसके पास आधार संख्या है, भारतीय विशिष्टता पहचान प्राधिकरण के डाटा बेस में उपलब्ध प्रेषिती का ई-मेल पता ;

(v) ऐसे प्रेषिती की दशा में, जो कंपनी है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की शासकीय वेबसाइट पर यथा उपलब्ध कंपनी का ई-मेल पता ; या

(vi) ऐसे प्रेषिती द्वारा, आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता ;

(थ) "समझौता" से अधिनियम के अध्याय 19क के अधीन समझौता अभिप्रेत है ;

(द) "नियम" से आय-कर नियम, 1962 अभिप्रेत है ;

(ध) "वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो-टेलीफोनी" से लोगों के बीच तत्काल संवाद के लिए, भिन्न अवस्थानों पर उपयोक्ताओं द्वारा ओडियो वीडियो सिग्नलों की प्राप्ति और पारेषण के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं ।

3. स्कीम का कार्यक्षेत्र— यह स्कीम ऐसे लंबित आवेदनों को लागू होगी, जिनके संबंध में आवेदक ने अधिनियम की धारा 245ड की उपधारा (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया है और जिन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अंतरिम बोर्ड को आवंटित किया गया है या अंतरित किया गया है ।

4. अन्तरिम बोर्ड— (1) अंतरिम बोर्ड, पैरा 3 के अधीन उसे आवंटित या अंतरित लंबित आवेदनों का, इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार ई-समझौता संचालित करेगा ।

(2) अंतरिम बोर्ड के पास, ऐसे आय-कर प्राधिकारी, अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद, कार्यपालक या अंतरिम बोर्ड के सदस्यों की सहायता करने के लिए परामर्शदाता होंगे, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाएं ।

5. लंबित आवेदनों का आवंटन— यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुमोदन से, अंतरिम बोर्डों को, पैरा 3 में निर्दिष्ट लंबित आवेदनों को यादृच्छिक रूप से आवंटित या अंतरित करने की प्रक्रिया को तैयार करेगा ।

6. समझौता संबंधी प्रक्रिया— अंतरिम बोर्ड को आवंटित या अंतरित लंबित आवेदनों की समझौते संबंधी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात् :--

(i) अंतरिम बोर्ड, यथास्थिति, उसके मामले के उसे आवंटित या अंतरित करने के बारे में आवेदक को सूचित करेगा ;

(ii) अंतरिम बोर्ड, प्रधान आयुक्त या आयुक्त से अभिलेख मंगा सकेगा तथा पैरा 7 में निर्दिष्ट आवश्यक सूचना, दस्तावेज, साक्ष्य, रिपोर्ट और अतिरिक्त तथ्य प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित कर सकेगा तथा इसे और जांच या अन्वेषण करने या करवाने के लिए निदेश दे सकेगा और अधिनियम की धारा 245 घ की उपधारा (3) के अनुसार या उसके अधीन अनुज्ञात समय के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

(iii) जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त खंड (ii) में निर्दिष्ट रिपोर्ट निश्चित समय के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो अंतरिम बोर्ड उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अधिनियम की धारा 245 घ की उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करने की कारवाही कर सकेगा;

(iv) जहां खंड (ii) में यथानिर्दिष्ट रिपोर्ट प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा फाइल की गई है, अंतरिम बोर्ड ऐसी रिपोर्ट को आवेदक को अग्रेषित करेगा तथा विनिर्दिष्ट तारीख और समय या ऐसे विस्तारित तारीख और समय के भीतर जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया जा सके, ऐसी रिपोर्ट का लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निवेदन आवेदक से करेगा ;

(v) जहां आवेदक खंड (iv) में यथानिर्दिष्ट उत्तर को विनिर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, अंतरिम बोर्ड उस उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करने की कार्यवाही कर सकेगा ;

(vi) अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवसर अंतरिम बोर्ड द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी की माध्यम से प्रदान किया जाएगा ;

(vii) अंतरिम बोर्ड खंड (vi) में निर्दिष्ट अवसर प्रदान करने के पूर्व, खंड (iv) में निर्दिष्ट उत्तर, यदि आवेदक से प्राप्त होता है, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित करेगा ;

(viii) आवेदन की सुनवाई के समय आवेदक के लिए उपस्थित होने वाला प्राधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई के प्रारंभ के पूर्व आवेदक के लिए उसे उपस्थित होने हेतु प्राधिकृत करने वाला एक दस्तावेज फाइल करेगा यदि वह आवेदक का नातेदार है, दस्तावेज आवेदक के साथ उसकी नातेदारी की प्रकृति का कथन करेगा या यदि वह आवेदक द्वारा नियमित रुप से नियोजित व्यक्ति है तो वह हैसियत जिसमें उसे उस समय नियोजित किया गया है ;

(ix) अंतरिम बोर्ड, ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे और कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर आवेदन की सुनवाई या उससे उद्भूत होने वाले किसी विषय की सुनवाई स्थगित कर सकेगा ;

(x) आवेदक तथा प्रधान आयुक्त या आयुक्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से सुनने के पश्चात् तथा सभी सूचना, दस्तावेज, अभिलेख, रिपोर्ट और इसके साथ साक्ष्य का परीक्षण करने के पश्चात्, अंतरिम बोर्ड अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा ;

(xi) उपखंड (x) के अधीन तत्पश्चात पारित आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त को एक प्रति के साथ आवेदक को रजिस्ट्रीकृत ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा ;

(xii) उपखंड (x) के अधीन पारित आदेश अधिनियम की धारा 245 घ की उपधारा (6ख) के अधीन या तो स्वतः ही या आवेदक अथवा प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा आवेदन करने पर अंतरिम बोर्ड द्वारा संशोधित किया जा सकेगा;

(xiii) अधिनियम के अध्याय 19 – क के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्डों को आबंटित या अंतरित लंबित आवेदनों को लागू होंगे ।

7. अतिरिक्त तथ्यों का सत्यापन – जहां अंतरिम बोर्ड के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान समझौता आवेदन में अंतर्विष्ट नहीं किए गए कोई तथ्य (जिसके अंतर्गत उपाबंध और कथन तथा ऐसे उपाबंध के साथ अन्य दस्तावेज भी है) विश्वास करने के लिए ईप्सित हैं, उन्हें लिखित में अंतरिम बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उनका सत्यापन उसी रीति में किया जाएगा जो समझौता आवेदन में उपबंधित है ।

8. कार्यवाहियों का जनता के लिए खुला न होना – अंतरिम बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियां जनता के लिए खुली नहीं होगीं तथा (आवेदक, उसका कर्मचारी, अंतरिम बोर्ड या आयकर प्राधिकारी के संबंधित अधिकारी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि से भिन्न) कोई भी व्यक्ति अंतरिम बोर्ड की अनुज्ञा के बिना ऐसी कार्यवाहियों के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी पर भी उपस्थित नहीं रहेगा ।

9. अंतरिम बोर्ड की ओर से संसूचना – (1) वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से सुनवाई का अवसर अंतरिम बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा सुकर किया जाएगा जो आवेदक तथा संबंधित पक्षकारों को अग्रिम लिंक और पासवर्ड प्रदान करेगा ।

(2) अंतरिम बोर्ड की आंतरिक और बाहरी सभी संसूचनाएं अंतरिम बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी ।

10. संसूचना का अनन्य रुप से इलैक्ट्रानिक ढंग से होना – (1) इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए –

(क) अंतरिम बोर्ड और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के बीच सभी संसूचनाएं इलैक्ट्रानिक ढंग से विनिमय की जाएंगी; और

(ख) अंतरिम बोर्ड और प्रधान आयुक्त या आयुक्त के बीच सभी संसूचनाएं इलैक्ट्रानिक ढंग से विनिमय की जाएंगी :

परंतु अंतरिम बोर्ड द्वारा इलैक्ट्रानिक ढंग से भिन्न किसी ढंग में प्राप्त कोई आवेदन प्रौद्योगिकी रुप से साध्य सीमा तक प्रधान आयुक्त या आयुक्त को इलैक्ट्रानिक रुप से अग्रेषित किया जा सकेगा ।

(ग) अंतरिम बोर्ड से इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना आवेदक के पते पर आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल से भेजा जाएगा ।

(घ) आवेदक या प्राधिकृत प्रतिनिधि अंतरिम बोर्ड को इस स्कीम के अधीन किसी नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का उत्तर अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते से फाइल करेगा ।

(ङ) प्रधान आयुक्त या आयुक्त अंतरिम बोर्ड को इस स्कीम के अधीन किसी नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का उत्तर शासकीय इलैक्ट्रानिक मेल सुविधा के माध्यम से फाइल करेगा ।

11. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन – इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक अभिलेख निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा –

(i) अंतरिम बोर्ड, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर करके ;

(ii) आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि उसके डिजिटल हस्ताक्षर करके यदि वह डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियमों के अधीन अपेक्षित है और किसी अन्य मामले में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित करके ।

12. अंतरिम बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित न होना – (1) आवेदक को इस स्कीम के अधीन अंतरिम बोर्ड के समक्ष या आयकर प्राधिकारी अथवा अंतरिम बोर्ड के पास तैनात मंत्री कर्मचारिवृंद के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में या तो व्यक्तिगत रुप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा ।

(2) केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ऐसे स्थानों पर जहां आवश्यक हो वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त सुविधाएं स्थापित करेगा जिसके अंतर्गत दूरसंचार अनुप्रयोग सोफ्टवेय़र भी है जो वीडियो टेलिफोनी का समर्थन करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि इस स्कीम के फायदे से मात्र इस आधार पर वंचित न हो कि ऐसे आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति की उसकी ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग तक पहुंच नहीं है ।

13. अंतरिम बोर्ड की भाषा – (1) अंतरिम बोर्ड के समक्ष सभी अभिवचन आवेदक के विकल्प पर हिंदी या अंग्रेंजी में हो सकेंगे ।

(2) अंतरिम बोर्ड के सभी आदेश और अन्य कार्यवाहियां अंतरिम बोर्ड के विकल्प पर हिंदी या अग्रेंजी में हो सकेंगी ।

14. अंतरिम बोर्ड के आदेशों का प्रकाशन – अंतरिम बोर्ड अपने विवेक से आदेशों या अंतरिम बोर्ड के निर्णयों को अंतर्विष्ट करने वाले हिस्सों के प्रकाशन को नामों और उनमें अन्य विशिष्टियों के संबंध में ऐसे उपांतरणों के साथ निदेशित करेगा जो वह ठीक समझे ।

[अधिसूचना सं. 129/2021/फा. सं. 370142/52/2021-टीपीएल (भाग-IV)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधायन